न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासनी अधिकारी गोपाल परिहार आर,ए एस

प्रकरण –राजस्व वाद संख्या 63 / 2019

वादीगण

1. जोगाराम पुत्र श्री आसुराम
2. भाकरराम पुत्र श्री आसुराम

जातियान पटेल निवासी परिहारों की ढ़ाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र श्री आसुराम
2. नृसिंह पुत्र श्री आसुराम
3. राजीदेवी पत्नी श्री कलाराम
4. जगाराम पुत्र कलाराम
5. दलाराम पुत्र कलाराम
6. सुखाराम पुत्र कलाराम
7. पूनाराम पुत्र कलाराम
8. मंगलाराम पुत्र कलाराम के वारिसान्

8/1 अमकी देवी पत्नी मंगलाराम

8/2 प्रेमाराम पुत्र मंगलाराम

8/3 इन्द्रा पुत्री मंगलाराम

8/4 गोरखराम पुत्र मंगलाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमकी देवी।

8/5 कविता पुत्री मंगलाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमकी देवी।

सभी जातियान् पटेल, जातियान पटेल निवासी परिहारों की ढ़ाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

9. तहसीलदार लूणी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितिः–

1. श्री ऊर्जाराम पटेल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री प्रहलादसिंह प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से एवं राजकीय पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 01/3/2021

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करने बंटवारा व म्युटेशन संख्या 5 व 10 ग्राम जोगयासनी एवं म्यूटेशन संख्या 147 व 148 ग्राम लूणावास खारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम जोगियासनी पटवार क्षेत्र लूणावास खारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 29 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 64 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा, एवं ग्राम परिहारों की ढ़ाणी, पटवार मण्डल लूणावास खारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 295 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 413 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 414 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 279 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 294/1 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 375 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 365 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 388 रकबा 23 बीघा, खसरा संख्या 389 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 415 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 390 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 416 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 417 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता आसिया उर्फ आसुराम व उनके भाई कलिया पुत्रान् लिखमाराम पीटल के नाम के नाम दर्ज थी एवं उनका ही वादग्रस्त भूमि पर काश्त था। जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/2, 1/2 बराबर हिस्सा है। सम्पूर्ण भूमि में इसी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/2 हिस्से अनुसार सभी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलावट होने के कारण भूमि मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज हुई, जबकि ऐसा बंटवारा कभी भी नहीं किया गया। तथाकथित बंटवारा रेकर्डेड खातेदारान के मध्य नहीं होने से विधिविरूद्ध, फर्जी एवं मनमानापूर्ण है, एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 से रामझाईस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की मिल बैठकर अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर ले, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एडामेन्ट होकर बंटवारा करने को तैयार नहीं है। तथाकथित म्युटेशन संख्या 05 व 10 ग्राम जोगियासनी एवं म्यूटेशन संख्या 147 व 148 ग्राम लूणावास खारा बिना किसी आदेश के भरा गया है। ऐसा कोई दस्तावेज म्युटेशन बुक व पटवारी रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिससे बंटवारा होना प्रकट होता हो। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि इस वाद के किसी भी पक्ष की स्वअर्जित नहीं है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार के तहत वाद के सभी पक्षकारान का वादग्रस्त भूमि पर बराबर का हिस्सा है तथा म्युटेशन संख्या 05 व 10 ग्राम जोगियासनी एवं म्यूटेशन संख्या 147 व 148 ग्राम लूणावास खारा निरस्त होने योग्य है। अन्त में वादीगण की यह प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किये जावें एवं म्युटेशन संख्या 05 व 10 ग्राम जोगियासनी एवं म्यूटेशन संख्या 147 व 148 ग्राम लूणावास खारा को शुन्य व बेअसर घोषित किया जावें। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा बाई मिनटस एण्ड बाउण्डस वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने की डिकी फरमावें व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी भी फरमावें कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण किसी प्रकार से किसी व्यक्ति संस्था आदि को अन्तरण नहीं करे एवं वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस दौराने विचारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया और निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2, एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2, 1/2 खातेदार घोषित किये जाते है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2, एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2, 1/2 के अनुसार खातेदार काश्त घोषित किया जावें एवं जरिये राजीनामा उक्त वाद को डिक्री किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त अनुसार इस वाद में राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा इस न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारान् ने उपस्थित तस्दीक करवाया है इसलिए माफिक राजीनामा वादीगण का यह वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से निम्नानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है :

1. वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम जोगियासनी पटवार क्षेत्र लूणावास खारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 29 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 64 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा, एवं ग्राम परिहारों की ढ़ाणी, पटवार मण्डल लूणावास खारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 295 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 413 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 414 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 279 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 294/1 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 375 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 365 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 388 रकबा 23 बीघा, खसरा संख्या 389 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 415 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 390 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 416 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 417 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में दर्ज करे व शेष 1/2 हिस्से की भूमि 3 से 8 के नाम संयुक्त रूप दर्ज की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

यह निर्णय आज दिनांक 8/3/2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, (जोधपुर)